बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री मुरारी मोहन शर्मा, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दानापुर अनुमण्डल पटना सम्प्रति सेवानिवृत की दिनांक– 25.12.2015 को नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री रोड अवस्थित धनकुँवर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड, के परिसर में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा छापामारी के क्रम में उक्त परिसर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत विरतण किये जानेवाले 2044 बोरा गेहूँ/चावल जब्त किये जाने, खाद्यान्न ढुलाई में लगे राज्य खाद्य निगम के वाहनों में जी0पी0एस0 नहीं लगे होने, विभागीय निदेशों की अवहेलना कर कालाबाजारी के छापामारी नहीं करने के कारण संगठित रूप से इसे संचालित किये जाने में प्रथम दृष्टया इनकी संलिप्तता प्रतीत होने के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक– 1252 दिनांक– 22.02.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होते है, जबकि विभागीय समीक्षा के क्रम में आरोपी कर्मी श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये । उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक– 2930 दिनांक– 20.06.2017 द्वारा श्री शर्मा से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी । अनुवर्ती स्मार पत्रांक– 4187 दिनांक– 22.08.2017 द्वारा श्री शर्मा को स्मारित भी किया गया, परन्तु उनके द्वारा वांछित कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया ।

3. अतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत कालाबाजारी रोकने एवं कर्तव्य में शिथिलता बरतने के आरोप में श्री मुरारी मोहन शर्मा, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दानापुर अनुमण्डल पटना सम्प्रति सेवानिवृत का 10% (दस प्रतिशत) पेंशन जब्त करने का दण्ड संसूचित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(पटना)–21/2016 4616 /खाद्य,पटना/दिनांक 24/09/18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/श्री रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, तत्कालीन संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना –सह–संचालन पदाधिकारी/श्री रामचन्द्र मल्लिक, तत्कालीन उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री मुरारी मोहन शर्मा, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दानापुर अनुमण्डल पटना सम्प्रति सेवानिवृत पता– पिता स्व0 मदन मोहन शर्मा, गर्वमेंट वेलफेयर हॉस्पीटल के पीछे, पो0– महेन्द्रु, थाना– सुल्तानगंज, जिला– पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/IX/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

D:\backup\Year_2016(PK)\sec-08 (08-09-2016)\sec_8\Off_ord.doc.AKS